"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2002—ज्येष्ठ 17, शक 1924

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै आनंद खुबानी पिता श्री एम. एल. खुबानी निवासी एम. आई. जी. 35 वैशाली नगर भिलाई अपना उप-नाम परिवर्तन कर आनंद खूबचंदानी आत्मज एम. एल. खूबचंदानी कर लिया है. अत: अब मुझे आंनद खूबचंदानी के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम	नया नाम
आंनद खुबानी	आनंद खूबचंदानी
पिता श्री एम. एल. खुबानी	पिता श्री एम. एल. खूबचंदानी

विविध
न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास खरसिया, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रा. प्र. क्र. 3/बी-113/97-98

आवेदक महंत त्रिवेणीदास महात्यागी सर्वराकार संरक्षक, श्रीराम जानकी मंदिर धर्मादा सेवा ट्रस्ट, खरसिया जिला रायगढ़ द्वारा इस न्यायालय में "श्रीराम जानकी मंदिर धर्मादा सेवा. ट्रस्ट" का गठन कर पंजीयन हेतु लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के अधीन आवेदन-पत्र ट्रस्ट की नियमावली एवं संविधान सहित प्रस्तुत किया गया है स्थानीय उद्घोषणा के प्रकाशन कर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पश्चात् आवश्यक कार्यवाही कर ट्रस्ट का पंजीयन किया जाना है.

(2) श्रीराम जानकी मंदिर धर्मादा सेवा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों के नाम व पते निम्नानुसार है :—

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	निवासी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री महंत त्रिवेणीदास महात्यागी सर्वराकार, संरक्षक.	स्व. गुरू महंत रामानुजदास	खरसिया
2.	श्री लखीराम जी अग्रवाल	स्व. मंशाराम अग्रवाल	—"—
3.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	स्व. शंकरलाल अग्रवाल	—"—
4.	श्री बाबूलाल अग्रवाल (विकास)	स्व. मंशराम अग्रवाल	—"—
5.	श्री बाबूलाल जी गर्ग	स्व.बनवारीलाल गर्ग	—"—
6.	श्री विष्णुप्रसाद गोयल (एस. आर. ए.)	स्व. राधाकिशन गोयल	—"—
7.	श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा	स्व. रामविलास शर्मा	—"—
8.	श्री गोपालप्रसाद गुप्ता	स्व.दीनानाथ गुप्ता	—"—
9.	श्री कैलाश अग्रवाल (अशोक मेडिकोज)	स्व. हरीराम अग्रवाल	—"—
10.	श्री जयसुख भाई मिरानी	श्री हीराभाई मिरानी	—"—
11.	डॉ. आर. के. तिवारी	स्व. शिवनारायण तिवारी	—"—
12.	श्री शंकरलाल केडिया	स्व. गोपालप्रसाद केडिया	—"—
13.	श्री आंनद अग्रवाल (एडू)	स्व. रामअवतार अग्रवाल	—"—
14.	श्री पालूराम अग्रवाल	स्व. किरोडीमल अग्रवाल	—"—
15.	श्री अर्जुन बंसल	स्व. रूपचंद बंसल	—"—
16.	श्री किशन पंडा	स्व. रामकुमार पंडा	—"—
17.	श्री शिवशंकर अग्रवाल	स्व. भगतराम अग्रवाल	—"—
18.	श्री गणेशराम चौहान	स्व. ननकी चौहान	—"—
19.	श्री गोरेलाल दर्शन	स्व. बोधीराम दर्शन	—"—
20.	श्री विमल गर्ग	स्व. गोपीराम गर्ग	—"—
21.	श्री सम्पत सर्राफ	स्व. महावीरप्रसाद सर्राफ	—"—

(3) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण निरंक

जारी दिनांक 18 फरवरी 2002

के. सी. दास
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास सारंगढ़

रा. प्र. क्र. 2/बी-113/99-2000

आवेदक श्यामकुमार व. शोभाराम पटेल, रमेश कुमार व. श्याम कुमार पटेल एवं अन्य 5 निवासी ग्राम बरगांव प.ह. नं. 29 तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ के द्वारा श्री जगन्नाथ महाप्रभु धर्मादा ट्रस्ट जिसकी सम्पत्ति नीचे लिखे अनुसार है को धर्मादा ट्रस्ट सम्पत्ति घोषित किये जाने एवं चयनित सदस्यों को ट्रस्टी के रूप में मान्यता दिये जाने हेतु ट्रस्ट के रूप में पंजीयन बाबत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि इस मामले की सुनवाई हेतु दिनांक 30-3-2000 को इस न्यायालय में होगी.

अतएव जिस किसी व्यक्तियों को ट्रस्ट संपत्ति से रुचि हो तो उक्त ट्रस्ट के संबंध में आक्षेप की आवश्यकता हो या सुझाव देना हो तो इस न्यायालय में उद्‌घोषणा के प्रसारण के 30 दिवस की अवधि में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियों में पेश कर सकते हैं नियत दिनांक को 11.00 बजे न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होकर निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट "अ"

ग्राम बरगांव ह. नं. 29 स्थित भूमि ख. नं. 182 रकबा 2.156 हे. प्रचलित आबादी में स्थित श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर.

परिशिष्ट "ब"

खसरा नम्बर क्रमशः 425, 429, 430, रकबा क्रमशः 2.181 हे., 2.651 हे., 2.222 हे. कुल 7.065 हेक्टर.

आज दिनांक 29-2-2000 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया.

रा. प्र. क्र./बी-113/2001-2002

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 के सहपठित नियम 4 (2) के अंतर्गत "गायत्री परिवार ट्रस्ट सरिया" के पंजीयन हेतु श्री उपेन्द्र लाल सर्राफ आ. जगन्नाथ प्रसाद सर्राफ एवं अन्य ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. उक्त गायत्री परिवार ट्रस्ट के नाम पर धारित सम्पत्ति एवं ट्रस्टीगणों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :—

अत: इस संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति दावा हो तो वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है.

परिशिष्ट "अ" ग्राम-सरिया रा. नि. मं. ग्राम सरिया प. ह. नं. 34 में धारित सम्पत्ति का विवरण

सुरक्षित आबादी भू-खण्ड खसरा नं. 956/2 रकबा 4.047 हे. में से रकबा 0.020 हे. भू-खण्ड गनेशराम आ. जगदेव मराठा निवासी अमुर्रा के नाम धारित है जिसे गायत्री मंदिर शक्ति पीठ के निर्माण में बिना किसी प्रतिफल लिये समर्पित कर दिया गया है तथा स्थल पर गायत्री मंदिर का निर्माण किया जा चुका है. अन्य सम्पत्ति-निरंक

ट्रस्टी का गठन एवं न्यासीगणों की सूची

1. श्री उपेन्द्र लाल सर्राफ आ. जगन्नाथ सर्राफ 65 वर्ष-मुख्य ट्रस्टी
2. श्री सालिकराम डनसेना आ. धनीराम डनसेना, सहा. प्रबन्ध ट्रस्टी
3. श्री गणेश राम आ. जगदेवराम ठाकेर, अमुर्रा, ट्रस्टी
4. श्रीमती श्यामला प्रधान पति अनन्तराम प्रधान सरिया ट्रस्टी
5. श्रीमती श्यामलता अग्रवाल पति श्री शिनलाल अग्रवाल, सरिया ट्रस्टी
6. श्री पलटन आ. गंगाधार पटेल, पंचधार, ट्रस्टी
7. अरूण कुमार मिश्र आ. अखिलेन्द्र नाथ, सरिया, छ. ग., ट्रस्टी

उक्त के संबंध में इस न्यायालय में अपना दावा आपत्ति दिनांक 25-4-2002 तक इस न्यायालय में की जा सकती है नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 26 फरवरी 2002 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया.

रा. प्र. क्र./बी-113/2001-2002

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदन मेहत्तर गोड एवं अन्य 14 व्यक्तियों ने नाम नीचे लिखे अनुसार उल्लेखित है को ग्राम लेन्धरा महोदव धर्मादा ट्रस्ट के नाम से पंजीयन हेतु लोक न्यास अधिनियम की धारा 04 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके ट्रस्टी एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है के संबंध में जिस किसी को आपत्ति दावा उजर हो तो इस न्यायालय में स्वत: दिनांक 4-4-2002 को उपस्थित होकर अपना आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है. नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

नामांकित व्यक्ति जो ट्रस्टी एवं सदस्य होंगे

1. मेहत्तर गोंड आ. कलाराम गोंड, अध्यक्ष, 2. हेमलाल साहू आ. घसिया साहू, उपाध्यक्ष, 3. मेहत्तर श्रीवास आ. गंगारामनाई, सचिव, 4. चुनूलाल साहू, सह सचिव, 5. हेमचरण साहू, कोषाध्यक्ष, 6. गंगाप्रसाद साहू, सदस्य, 7. गणेशराम यादव, सदस्य, 8. जगन्नाथ साहू, सदस्य, 9. विभीषण साहू, सदस्य, 10. नरसिंह साहू, सदस्य, 11. मंगल सिंह जाटवार, सदस्य, 12. हेमलाल साहू आ. बहादुर साहू, सदस्य, 13. पूरन प्रसाद साहू, 14. बद्रीप्रसाद साहू, सदस्य, 15. एकादशिया पटेल जाति मरार, सदस्य होंगे.

ट्रस्ट की सम्पत्ति का विवरण, जो ग्राम लेन्धरा ह. नं. 10 स्थित है

परिशिष्ट "क"

रामेश्वर मंदिर (देव स्थान) प्रबंधक, कलेक्टर, रायगढ़ के नाम से दर्ज कुल भूमि नम्बर 11 रकबा 1.738 हे. एवं पीतल का घण्टा, एक एवं घण्टी, एक बटलोही एवं स्टील का एक थाली, एक चम्मच, एक कटोरी कीमती रुपये 500/-

परिशिष्ट "ख"

विशेश्वर नाथ मंदिर (देव स्थान) प्रबंधक, कलेक्टर, रायगढ़ के नाम से दर्ज भूमि का विवरण

कुल खसरा नं. 9 कुल रकबा 2.103 हे./05-25 एकड़ भूमि उपयुक्त मंदिर के वास्ते पृथक् से मिला हुआ कोई चल सम्पत्ति नहीं है श्री रामेश्वर मंदिर के पक्ष में परिशिष्ट "क" में उद्धृत चल सम्पत्ति से ही मंदिर का कर्म होता.

आज दिनांक 26 फरवरी, 2002 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया.

तारण प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़

एतद्द्वारा आम जनता के लिए यह उद्घोषणा प्रकाशित किया जा रहा है कि, ग्राम पांडादाह स्थित श्री ठाकुर जुगल किशोर मन्दिर एवं उससे आश्रित सम्पत्ति के उचित संचालन हेतु सार्वजनिक ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है.

ट्रस्ट निर्माण की प्रक्रिया आज दिनांक 28-2-2002 से प्रारंभ की जा रही है. यदि इस ट्रस्ट निर्माण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने अभिकर्ता के माध्यम से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, जिसे मामले का हाल पूर्ण रूप से समझा दिया गया हो, मेरे कार्यालय में एक महिने के अन्दर अर्थात् दिनांक 28-3-2002 तक आपत्ति पेश कर सकते हैं.

उपरोक्त नियत दिनांक के पश्चात् पेश की गयी आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जावेगा, तथा ट्रस्ट निर्माण की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया जावेगा.

ठाकुर जुगल किशोर मन्दिर ट्रस्ट पांडादाह एवं उससे आश्रित एवं नाम पर अंकित सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :—

खाता क्रमांक (1)	भूमिस्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम (2)	ख. नं. (3)	रकबा (4)	लगान (5)
116 स्थित ग्राम साल्हेवारा.	मन्दिर श्री ठाकुर जुगल किशोर प्रबंधक कलेक्टर, राजनांदगांव.	15	5.02	2.38

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
स्थित ग्राम रौनाभाठा.	मन्दिर श्री ठाकुर जुगल किशोर प्रबंधक कलेक्टर, राजनांदगांव.		25	0.29	0.12
38 स्थित ग्राम घुघरीटोला.	—"—		18	8.60	165.46
			28/1	84.80	
			29	0.75	
			30/1	29.76	
			31	6.20	
			34	4.36	
			36	12.50	
			43	7.81	
			46	3.73	
			56	0.48	
			57	0.06	
			58	0.08	
			59	0.06	
			64	0.80	
			65	0.40	
		योग	15	160.39	165.46
स्थित ग्राम पाडादाह	मन्दिर श्री ठाकुर जुगल किशोर सर्वराकार महंत सनकादिशरण दास, साकिन पाडादाह भूमिस्वामी प्रबन्धक कलेक्टर, राजनांदगांव.		5	3.63	20.00
			34	1.84	
			49	3.80	
			51	3.87	
			90	7.89	
		योग	5	21.03	20.00
स्थित ग्राम 38 झरझराघाट.	—"—		5	0.87	2.50

म. प्र. लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अधीन उपरोक्त न्यास (ट्रस्ट) के निर्माण हेतु आम जनता के हितार्थ मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से आज सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया जा रहा है. ट्रस्ट निर्माण के संबंध में अन्य किसी भी जानकारी मेरे कार्यालय में आकर कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

जन्मेजय महोबे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग (छ. ग.)

प्रारूप-चार
[देखिये नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

वालटरफेमली चेरीटेबल ट्रस्ट एस. एम. 61 (पदमानभपुर दुर्ग के संबंध में)

चूंकि श्री विक्टरवालटर आ. साकिन पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28-3-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अत: मैं, नितिन पंडित, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 28-3-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम	:	वालटरफेमली चेरीटेबल ट्रस्ट, पद्मनाभपुर दुर्ग
2.	संपत्ति का वर्णन	:	5101.00 (पांच हजार एक सौ एक) रुपये नगद

प्रारूप–चार
[देखिये नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

कंनसर्न अस्टिंग रिलिफ एण्ड डबलपमेंट (कार्ड) प्लाट नं. 201 शाप नं. 1 बी मार्केट आमंदीनगर हुडको के संबंध में

चूंकि थामस जोसफ आ. स्व. ए. जी. जोसफ निवासी हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया हैं, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 30-5-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति के हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं नितिन पंडित, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 30-5-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नही किया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम	:	कनर्सन असिस्टिंग रिलिफ एण्ड डबलपमेंट (कार्ड) प्लाट नं. 201 शाप नं. 1 बी मार्केट आमंदीनगर हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग.
2.	लोक न्यास का सम्पत्ति	:	रु. 5000/- (पांच हजार रुपये नगद)

नितिन पंडित,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.)

प्रारूप-चार
[देखिये नियम 5 (1)]

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां की धारा 5 (1) और छत्तीसगढ़ राज्य लोक न्यास नियम 1962 का नियम, 5 (1) देखिए]

क्रमांक 672/प्र. 1/अ. वि. अ./2001.—चूंकि श्री सीताराम साहू आ. कल्याणसिंह साहू निवासी ग्राम नारागांव तहसील गुरूर जिला दुर्ग (छ. ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना लोक न्यास है, गठन करती है.

अत: मैं एस. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, तहसील गुरूर, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई जानकारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहे तो मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनूसूची

1. लोक न्यास का नाम पता : श्री सियादेवी मंदिर ट्रस्ट, नारागांव, तहसील गुरूर, जिला दुर्ग (छ. ग.)
2. लोक न्यास के संपत्ति का विवरण

   अचल संपत्ति : निरंक

   चल संपत्ति : निरंक

आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया.

प्रारूप-चार

[देखिये नियम 5 (1)]

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां की धारा 5 (2) और छत्तीसगढ़ राज्य लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

चूंकि श्री लोकेन्द्र यादव आ. शिवभजन यादव निवासी ग्राम बालोद तहसील बालोद जिला दुर्ग (छ. ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 2-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है, गठन करती है.

अत: मैं, एस. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, तहसील बालोद, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 11 फरवरी, 2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई जानकारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहे तो मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम, पता	:	महर्षि मुक्त लोक सेवा न्यास ग्राम हथौद प. ह. नं. 13 तहसील बालोद जिला दुर्ग (छ. ग.).
2.	लोक न्यास के संपत्ति का विवरण	:	
	अचल संपत्ति	:	ग्राम हथौद प. ह. नं. 13 तहसील बालोद स्थित कृषि भूमि ख. नं. 682 रकबा 2.03 हे. एवं कच्चा मकान कवेलू युक्त.
	चल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 28-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया.

प्रारूप-चार
[देखिये नियम 5 (1)]

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां की धारा 5 (2) और छत्तीसगढ़ राज्य लोक न्यास नियम 1962 का नियम, 5 (1) देखिए]

चूंकि श्री प्रकाशचंद जैन आ. रघुनाथमल जैन निवासी ग्राम देवीनवागांव, तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय मैंने दिनांक 25 फरवरी, 2002 को विचार के लिए लिया जायेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है, गठन करती है.

अत: मै, एस. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, तहसील बालोद, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 25 फरवरी, 2002 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सपंत्ति का कोई जानकारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहे तो मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम पता	:	श्री रामचंद्र जी स्वामी मंदिर ट्रस्ट देवीनवागांव तहसील बालोद जिला दुर्ग (छ. ग.)
2.	लोक न्यास के संपत्ति का विवरण	:	
	अचल संपत्ति	:	ग्राम देवीनवागांव प. ह. नं. 1 स्थित कृषि भूमि कुल ख. नं. 6 रकबा 2.96 एवं आबादी भूमि ख. नं. 362 रकबा 0.16 हे. पर श्री राम मंदिर स्थित है.
	चंल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 7 जनवरी , 2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया.

एस. पी. दीक्षित,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.